मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-11/2017/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 25 जून, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को मत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान का लाभ ।

—••—

वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16-01-2018 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अधीन मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान की पात्रता की स्वीकृति दी गई है ।

2/ मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त ऐसे शासकीय सेवक जिनकी उपर्युक्त परिपत्र जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 16-1-2018 के पूर्व सेवानिवृत्ति/सेवा में रहते मृत्यु हुई है, उनके विषय में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उन्हें अथवा उनके आश्रितों को उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्रावधानों के तहत पात्रतानुसार उपादान भुगतान किया जाए ।

3/ तदनुसार ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

23/6/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

http://www.finance.mp.gov.in